न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–140/2026
(सत्र वाद सं0–187/24)
गोगरी थाना काण्ड सं0–303/18
पारो यादव – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।

11.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त–**पारो यादव** की ओर से दाखिल जमानत को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार सिंह के द्वारा को प्रचालित किया गया। जमानत की प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी है। मामला जमानत का दुरूपयोग का है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक **28.02.2026** से कारा अभिरक्षा में है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक प्रस्तुत मामले में जमानत पर था। आवेदक की ओर से जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है, बल्कि वह एक मजदूर है और वह अपने तथा अपने परिवार के जीवकोपार्जन हेतु राज्य से बाहर चला गया था और उसने अपने पैरवीकार को आवश्यक पैरवी करने और मामले की प्रगति के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और परिणामस्वरूप आवेदक का जमानत बंध–पत्र दिनांक 19.10.2023 को खण्डित कर दिया गया। अब उनके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा प्रत्येक तिथि को उचित पैरवी की जायेगी। अतः उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत वाद में जमानत पर था। अभिलेख आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु निर्धारित था। आवेदक को मामले में सदेह उपस्थित रहने का निर्देश था, इसके बावजूद भी जब वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो उनका जमानत बंध–पत्र

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–140/2026
(सत्र वाद सं0–187/24)
गोगरी थाना काण्ड सं0–303/18

लगातार
11.03.2026

दिनांक 19.10.2023 को विखण्डित कर दिया और उसके विरूद्ध गैर–जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि आवेदक जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किये हैं, बल्कि वह जीवकोपार्जन हेतु राज्य से बाहर चला गया था और उसने अपने पैरवीकार को आवश्यक पैरवी करने और मामले की प्रगति के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आवेदक के द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा प्रत्येक तिथि को उचित पैरवी की जायेगी। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.02.2026 से कारा अभिरक्षा में है, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्त का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	11.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	17.03.26
Uploading by	Nikki Kumari (D.C.J)